न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामकिशोर बनाम राजस्थान सरकार मु0 नं0 33/2020 प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा का रहने वाला है। जिसका वास्तविक नाम रामकिशोर पुत्र रघूनाथ जाति माली है। आराजी खसरा नं0 711/410 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है। खसरा नं0 710/410 रकबा 11 बिस्वा भूमि में प्रार्थी व उसके भाईयो का हिस्सा 1/3 है। खसरा नं0 398 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नं0 399 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी, खसरा नं0 400 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी किता 3 कुल रकबा 14 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है। एवम् खसरा नं0 401 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 33/71 है। उक्त सभी भूमियां ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम किशोर पुत्र रघूनाथ जाति माली दर्ज है। प्रार्थी का शीर्षक में वास्तविक नाम किशोर पुत्र रघूनाथ नहीं होकर रामकिशोर पुत्र रघूनाथ जाति माली है। जिसका स्पष्ट प्रमाण आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामकिशोर पुत्र रघूनाथ माली ग्राम खटवा दर्ज है। प्रार्थी का सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात में नाम रामकिशोर ही दर्ज है तथा प्रार्थी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। परन्तु भूमि के खाते में अर्थात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का असली नाम रामकिशोर के स्थान पर किशोर गलत रूप से अंकित हो गया है जिसे शुद्व किया जाना जरूरी है। प्रार्थी का शीर्षक में रिकार्ड में नाम गलत अंकित होने के कारण प्रार्थी को कई सरकारी व अर्द्व सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी काफी कठिनाई का सामाना करना पड़ता है। क्योकि सभी	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामकिशोर पुत्र रघूनाथ अंकित है तथा जमाबंदी में किशोर पुत्र रघूनाथ अंकित है। प्रार्थी के अपने नाम के अशुद्व अंकन को दुरूस्त करवाने के लिए अप्रार्थी के यहां कई बार आवेदन भी पेश किया परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के इस अशुद्व अंकन को आज दिनांक तक शुद्व नही किया तथा दिनांक 16-08-2020 को प्रार्थी से स्पष्ट कह दिया कि मै सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना दुरूस्त नही करूंगा। बस इसी बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 711/410 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है। खसरा नं0 710/410 रकबा 11 बिस्वा भूमि में प्रार्थी व उसके भाईयो का हिस्सा 1/3 है। खसरा नं0 398 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नं0 399 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी, खसरा नं0 400 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी किता 3 कुल रकबा 14 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है। एवम् खसरा नं0 401 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 33/71 भूमि वाकै ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी में नाम किशोर पुत्र रघूनाथ दर्ज किया है जबकि प्रार्थी की अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि मे रामकिशोर पुत्र रघूनाथ होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी के अशुद्व नाम किशोर पुत्र रघूनाथ को विलोपित कर उसके स्थान पर रामकिशोर पुत्र रघूनाथ शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया । जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जि...

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना

उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 711/410 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है। खसरा नं0 710/410 रकबा 11 बिस्वा भूमि में प्रार्थी व उसके भाईयो का हिस्सा 1/3 है। खसरा नं0 398 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नं0 399 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी, खसरा नं0 400 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी किता 3 कुल रकबा 14 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है। एवम् खसरा नं0 401 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 33/71 भूमि वाकै ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के अशुद्व नाम किशोर पुत्र रघूनाथ को विलोपित कर उसके स्थान पर रामकिशोर पुत्र रघूनाथ शुद्व किया जाता है इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)